

ESTAF

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक :- प.12(17)पपा / 2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 10 JUL 2019

--- आदेश ---

12/07/19

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.09.2013, 04.10.2013, 24.01.2014, 11.02.2014, 28.05.2014 एवं आदेश क्रमांक प.12(19) दिनांक 28.01.2014 द्वारा पशुपालन विभाग में एक वर्ष अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक आवश्यक/अस्थाई आधार पर नियत पारिश्रमिक पर रखे गये थे। इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.05.2015, 07.10.2014, 18.05.2015 व 30.06.2016 द्वारा उक्त पशु चिकित्सा अधिकारियों में से तत्समय कार्यरत अधिकारियों की सेवा अवधि क्रमिक रूप से दिनांक 31.05.2016 तक बढ़ायी गयी थी। तत्समय कार्यरत उक्त पशु चिकित्सा अधिकारियों की सेवाये आदेश दिनांक 30.6.2016 द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई थी।

एस0बी0सि0रिट याचिका संख्या 8945/2016, डॉ0 मुकेश कुमार माली व अन्य एवं विभिन्न याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर अन्तरिम/आदेशों की अनुपालना में आवश्यक/अस्थाई आधार(Urgent temporary basis) पर नियत पारिश्रमिक पर रखे गये पशु चिकित्सा अधिकारियों में से निम्नांकित 4 अधिकारियों को पुनः आवश्यक/अस्थाई आधार(Urgent temporary basis) पर नियत पारिश्रमिक रूपये 39300/- पर रखते हुये इनका पदस्थापन नाम के समुख अंकित स्थान पर करते हुये इनकी सेवा अभिवृद्धि कार्मिक (क-2/नियम) विभाग के आई. डी.संख्या 727 दिनांक 26.06.2019 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में कार्यग्रहण तिथि से एक वर्ष अथवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक की वृद्धि की जाती है :-

क्र.सं.	नाम पशु चिकित्सा अधिकारी	पदस्थापन स्थान	वि.वि.
1.	डॉ0 गोपाल स्वामी / श्री पूणर मल स्वामी	पशु चिकित्सालय, दांतिल जयपुर।	रिक्त पद
2.	डॉ0 राकेश कुमार / मोहर सिंह	पशु चिकित्सालय, माधोगढ, झुन्झुनू।	रिक्त पद
3.	डॉ0 शैलेन्द्र गुप्ता / श्री रामवतार गुप्ता	पशु चिकित्सालय, सकट अलवर	रिक्त पद
4.	डॉ0 ललित किशोर यादव / जगदीश यादव	पशु चिकित्सालय कोल्वाग्राम दौसा	रिक्त पद

इसी क्रम में आवश्यक/अस्थाई आधार(Urgent Temporary basis) पर नियत पारिश्रमिक पर कार्यरत निम्नांकित 19 पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग में कार्यरत चल रहे है जिनकी कार्मिक (क-2/नियम) विभाग की आई. डी.संख्या 727 दिनांक 26.06.2019 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में अस्थाई सेवा अवधि में अभिवृद्धि दिनांक 01.06.2019 से एक वर्ष अथवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक की जाती है :-

क्र. सं.	नाम	कब से	कब तक
1.	डॉ0 रंणजीत कुमार वर्मा / शिवकुमार प्रसाद	01.06.2019	31.05.2020
2.	डॉ0 मुकेश कुमार यादव / जगदीश प्रसाद यादव	01.06.2019	31.05.2020
3.	डॉ0 विक्रम सिंह यादव / मोहर सिंह यादव	01.06.2019	31.05.2020
4.	डॉ0 नरेश नागर / श्री लाल नागर	01.06.2019	31.05.2020
5.	डॉ0 मुकेश कुमार भाकर / श्री लाल भाकर	01.06.2019	31.05.2020

Vijay-2014/A4/1749


गोपनीय शाखा
355 11-749
दिनांक.....

Scanned by CamScanner

6.	डॉ० योगेश आर्थे / शिवनारायण	01.06.2019	31.05.2020
7.	डॉ० पवन कुमार साहरण / भवरलाल साहरण	01.06.2019	31.05.2020
8.	डॉ० रमेश बेनीवाल / रणसिंह बेनीवाल	01.06.2019	31.05.2020
9.	डॉ० विजय सिंह / देवीलाल गोदारा	01.06.2019	31.05.2020
10.	डॉ० सुरेन्द्र कुमार / जगदीश प्रसाद	01.06.2019	31.05.2020
11.	डॉ० सत्यवीर सिंह / मनफूलराम	01.06.2019	31.05.2020
12.	डॉ० महेन्द्र सिंह / प्रेम सिंह	01.06.2019	31.05.2020
13.	डॉ० हीरालाल / मोहन लाल	01.06.2019	31.05.2020
14.	डॉ० अमित चावला / भीम सैन	01.06.2019	31.05.2020
15.	डॉ० गौरव शर्मा / गोतम लाल	01.06.2019	31.05.2020
16.	डा० दिनेश चौधरी / वावूलाल चौधरी	01.06.2019	31.05.2020
17.	डॉ० गणपत राम सैनी / जगदीश प्रसाद सैनी	01.06.2019	31.05.2020
18.	डॉ० मनोज कुमार महला / दीनदयाज महला	01.06.2019	31.05.2020
19.	डॉ० अब्दुल कादीर खान / अब्दुल वाहीद पठान	01.06.2019	31.05.2020
20.	डॉ० गोपाल स्वामी / पूरण मल स्वामी	कार्यग्रहण तिथि से एक वर्ष अथवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक	
21.	डॉ० राकेश कुमार / मोहर सिंह		
22.	डॉ० शैलेन्द्र गुप्ता / रामवतार गुप्ता		
23.	डॉ० ललित किशोर यादव / जगदीश प्रसाद यादव		

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आदेश से,



(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2/नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संबंधित अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक / उप निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संबंधित अभ्यर्थी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव